2022/117

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 14/2022 (राजसमन्द डिकी)

1. प्रकाशचन्द्र पिता मदनलाल जी माली, निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती रेखा देवी पत्नी मनोज कुमार जी माली, निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. मदनलाल उर्फ मगनीराम पिता रंगलाल जी माली, निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती कमला देवी पत्नी मदनलाल उर्फ मगनीराम जी माली, निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. देवीलाल पिता बालूराम जी माली, निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान
काश्त. अधि. – 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिकी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा दि॰
26.08.2021 प्रकरण संख्या 29/2019

———/———

उपस्थित :– 1– श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री अनिल बागोरा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2

———::———

निर्णय **दिनांक 12–08–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त स्वामित्व की आराजी नंबर 1765 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित है। वादी [illegible] पिता देवजी से 1/2 हिस्सा क्रय किया था, जिसमें पड़ोसों [illegible] जिसमें वादी का कब्जा है, किन्तु भूमि का [illegible] भूमि के विकास में असुविधा होती है। प्रतिवादी [illegible] को बेदखल करने की धमकी देते हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार [illegible] वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:36 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

वर्णित आराजी का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 26–08–2021 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 08–07–2022 को प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्टगण को नहीं थी। जानकारी होते ही नकल प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

5. हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध दिनांक 17–03–2020 को एकपक्षीय कार्यवाही की गयी, जो विधि अनुसार उचित नहीं है। अपीलान्ट ने उक्त प्रकरण में स्वर्गीय श्री संजय मेहता को अपना अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था, जिन्होंने हर पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं होने तथा आवश्यकता होने पर फोन करने का कथन किया था, किन्तु अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने से अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित हो गये, जिसमें अपीलान्ट का कोई दोष नहीं है। अपीलान्ट के अधिवक्ता की जनवरी 2022 में आकस्मिक मृत्यु हो गयी। अधिवक्ता की गलती की सजा पक्षकार को नहीं दी जा सकती। वादी ने तथ्यों को छुपा कर वाद प्रस्तुत किया है, जिसमें पप्पूलाल पिता रामलाल को पक्षकार ही नहीं बनाया है, जबकि विभाजन के वाद में सभी सहखातेदारों को पक्षकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:36 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन [illegible] अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

बनाया जाना आवश्यक है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अंदाज करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 17–03–2020 प्रतिवादी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित होने से प्रतिवादी/अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं, इस संबंध में अपीलान्टगण का कथन है कि उन्होंने अपना अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था, किन्तु अधिवक्ता द्वारा कोई सूचना अपीलान्टगण को नहीं दी गयी, जिससे अपीलान्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अधिवक्ता की गलती की सजा पक्षकार को नहीं दी जा सकती। जमाबन्दी अनुसार विवादित आराजी नंबर 1765 देवीलाल, पप्पूलाल, प्रकाश व रेखा देवी के खातेदारी में दर्ज है, लेकिन वादी देवीलाल ने पप्पूलाल को पक्षकार ही नहीं बनाया है, जबकि विभाजन के वाद में प्रत्येक सहखातेदार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

9. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 26–08–2021 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में सभी सहखातेदारों को पक्षकारान संस्थित कर तथा उनका जवाबदावा लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13–10–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 12–08–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:36 IST
Reason: Self Attested

(कीर्ति राठौर)
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर